5.2.1 Average percentage of placement of outgoing students during the last five years (10)

Year	Name of student placed and contact details	Program graduated from	Name of the employer with contact details	Pay package at appointment (In INR per annum)	Appointment order link
2016-17	Niket Kumar Sinha	Bcom	SBI CLERK- (C.G.)	4.5 Lacs	NIL
2017-18	Vikash Jindal	Bcom	Nayab Tasildar- Pathalgaon (C.G.)	5 lacs	NIL

Principal
Govt.Sant Rameshwar
Gahira Guru ji College
Bagicha, Dist.-Jashpur (C.G.)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	Branch:- Janakpur (5792) Tehsil :- Bharatpur Distt. Koriya (C.G.) **Mob no.9399883213**
PHONE /FAX .9399883213	E MAIL: sbi.05792@sbi.co.in
	DATE : 01/12/2021

IT IS TO CERTIFY THAT MR. NIKET KUMAR SINHA IS CURRENTLY WORKING AS ASSOCIATE AT STATE BANK OF INDIA, JANAKPUR BRANCH, JANAKPUR, DIST. KORIYA, C.G., JOINED SINCE 13/01/2020 BY QUALIFYING THE REQUIRED EXAMINATION OF SBI JUNIOR ASSOCIATE RECUITMENT 2019.

NIKET KUMAR SINHA,

ASSOCIATE

MR. R. MINZ,

SERVICE MANAGER

Principal
Govt.Sant Rameshwar
Gahira Guru ji College
Bagicha, Dist.-Jashpur (C.G.)

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

//आदेश//

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27.02.2019

क्रमांक एफ-2-64/2016/सात-2 -::- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक/2763/32/चयन/2018/13, दिनांक 15.02.2019 द्वारा नायब तहसीलदार के पद हेतु जारी (राज्य सेवा परीक्षा 2017) चयन सूची की मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नीचे उल्लेखित कॉलम नं.-04 में दर्शित जिले में नायब तहसीलदार के पद पर (वेतन बैंड रूपये 9300-34800 ग्रेड पे 4200) वेतन मैट्रिक्स लेवल-8, में उन्हे कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अनन्तिम (Provisional) रूप से अधिरोपित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है:-

क्र.	अभ्यार्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला	श्रेणी
1	2	3	4	5
1	श्री अंबर गुप्ता	सी-28, ऋषभ ग्रीन सिटी, महेश कालोनी के सामने पुलगांव रोड दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.	राजनांदगांव	अनारक्षित
2	श्री विकास जिंदल	मेन रोड बगीचा वार्ड कमांक-7 थाना बगीचा तहसील बगीचा, जिला जशपुर छ.ग.	जशपुर	अनारक्षित
3	श्री अनिरूद्व मिश्रा	702/1 महादेवघाट रोड, गली कमांक-4 रायपुरा, जिला रायपुर छ.ग.	सरगुजा	अनारक्षित
4	सुश्री अंकिता तिवारी	पावर हाऊस के पास राजमोहनी वार्ड 12 तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.	सूरजपुर	अनारक्षित
5	सुश्री मृणमयी शुक्ला	घर कमांक 18 मोहन रेसीडेन्सी सीपत रोड मौसाजी होण्डा के पीछे मेघदूत नगर बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.	मुंगेली	अनारक्षित
6	श्री शेख मोहम्मद एजाज हाशमी	बी-25 आफिसर कॉलोनी बी सीम कॉलरी खोगापाली तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया छ.ग.	सरगुजा	अनारक्षित

46	श्री आदित्य हरिहारनो	मकान नं.-56, शिवनाथ कॉलोनी, वार्ड नं.-29, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छ.ग.	बलौदाबाजार	अ.पि.व. निःशक्त
47	श्री हिमालय सेठिया	शांति नगर, भेजरीपदर, पोस्ट-राजनगर, तहसील-बकावंड जिला-कांकेर, छ.ग.	दंतेवाडा	अ.पि.व. निःशक्त
48	श्री चन्द्रकांत चन्द्रवंशी	वार्ड नं.-2, रामनगर घनश्याम वर्मा किराना स्टोर्स, कवर्धा, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छ.ग.	सरगुजा	अनारक्षित निःशक्त

<u>शर्तें :-</u>

01. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है एवं जाति, निवास, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य आदि प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है।

02. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है)।

03. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

04. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जाएगें।

05. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कारण बताये, पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी, तथा झूठ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए

06. उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अन्तिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।

07. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण-पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के पास रहेगी।

09. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अध्याधीन रहेंगे।

10. नियुक्त अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे इन्हें राज्य शासन द्वारा 01 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है तथा परिवीक्षा अवधि में बिना कोई कारण बताये, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।

12. नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. नियुक्त अभ्यर्थियों को जब प्रशिक्षण हेतु जहां भी बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति संबंधित स्थान पर देंगे।

14. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनीहोगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथमबार में असफल होने पर अभ्यर्थी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।

15. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक, अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त की जा सकेगी।

16. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किए जायेंगे।

17. नवनियुक्त नायब तहसीलदार का यह दायित्व होगा कि जिले में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रतिलिपि स्वयं इस विभाग को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करावें।

2/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.आर.साहू)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

13. समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि यदि नायब तहसीलदार के पद रिक्त न हो तो तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध उनका वेतन आहरित किया जावे ।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ0ग0
15. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री.. को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल-दस्तावेज संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करें, ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।
16. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(टीप :-आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाईट http://cg.nic.in/revenue/ **में उपलब्ध है)**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Principal
Govt.Sant Rameshwar
Gahira Guru ji College
Bagicha, Dist.-Jashpur (C.G.)